FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0048 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/03/2024 17:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 26/03/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:40 बजे **Time To (समय तक):** 13:43 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/03/2024 **Time (समय):** 13:50 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/03/2024 17:26:14 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 19 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** ARG North Avnyu, VKI Road Number 9A Siker Road, Office Pramhans Hospital pvt., Chamber Number 724-725

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Rakshit Dhankar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Vijapal Dhankar

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 08/01/1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	B105 106, Tirupati Nileya Taodi Moad, Siker Road, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	B 105 106, Tirupati Nileya Taodi Moad, Siker Road, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9461414240

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Deepak Badhjatya		पिता:Premchand Jen	1. 219A,Patel Nager,Mansarovar,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 19.03.2024 को समय 10.40 ए.एम. पर श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर द्वितीय जयपुर ने मन उप अधीक्षक पुलिस अभिषेक पारीक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सम्मुख बैठे व्यक्ति श्री रक्षित धनकड़ परिवादी से परिचय करवाकर श्री रक्षित धनकड़ द्वारा पी0एफ0 डिपार्टमेन्ट के दीपक बड़जात्या द्वारा रिश्वत मांगे जाने के संबंध में एक लिखित प्रार्थना पर आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित कर मुझे सुपुर्द किया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री रक्षित धनकड़ मय प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी का नाम पता पुछा तो परिवादी ने अपना नाम रक्षित धनकड़ पुत्र श्री विजयपाल धनकड़ निवासी बी 105-106 तिरूपति निलेय टोडी मोड़ सीकर रोड जयपुर होना बताया। श्री रक्षित धनकड़ ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर विषय रिश्वत लेते हुए पकडवाने के लिए महोदय निवेदन है कि हमारी परमहंस हॉस्पिटेलिटी प्रा.लि. वी.के. आई जयपुर के नाम से फर्म है जिसका मैं पूर्व में डायरेक्टर था वर्तमान में मेरी माताजी इस फर्म की डयरेक्टर है। इस फर्म के अन्तर्गत हम व्यवसाय करते है इसी फर्म में टेन. टविस्टरस के नाम से हम सी-स्कीम जयपुर में रेस्टोरेन्ट संचालित करते थे जो पिछले वर्ष हमने बन्द कर दिया था पी.एफ. डिपाट्रमेंट के दीपक बडजातिय की तरफ से दिनांक 12 दिसम्बर 2023 को मेरे सी.ए. अन्कुर गुप्ता को फर्म के इन्सपेक्सन के लिए मेल प्राप्त हुआ जो सी.ए. ने मुझे फॉर्वड कर दिया उसके बाद माह फरवरी 2024 में मेरे पास पी.एफ डिपार्टमेंट के इन्सपेक्टर दीपक का फोन आया कि आपके रेस्टोरेंट का इन्सपेक्सन करना है इसके पश्चात दीपक जी हमारे वी.के.आई स्थित ऑफिस पर आए जहां पर हमने इन्स्पेक्टर दीपक को रेस्टोरेंट सम्बन्धित पेपर दिखाए तो इन्होने कहां कि आपका छह साल का इस्पेक्सन ड्यू है आपको पूरे छह साल का रिकॉड सबमिट करवाके इस्पेक्सन करवाना होगा फिर हमने इनसे 2-3 दिन का समय मांगा 3-4 दिन बाद PF इस्पेक्टर दीपक माह फरवरी के अन्त में मेरे VKI स्थित कार्यालय आए जिनको हमने रेस्टोरेंट से सम्बन्धित डॉक्यूमेंट दिखाए तो इंस्पेक्टर दीपक ने कहा कि आपके रेस्टोरेंट का छह साल का इंस्पेक्सन बाकी है और मैं पांच साल का मानके कम्पलीट कर दूंगा परन्तु आपको इंस्पेक्सन के लिए प्रति वर्ष 50,000 के हिसाब से 2.5 लाख रूपये खर्चे के अलग से मुझे देने होंगे वरना मैं इंस्पेक्सन रिपोर्ट में आपके रेस्टोरेन्ट और फर्म के खिलाफ लिखूंगा जिससे आपका काफी नुकसान होगा, इस पर मैंने पी0एफ0 इन्स्पेक्टर दीपक से 8-10 दिन का समय मांगा तो इंस्पेक्टर दीपक ने मुझे अपने मोबाइल नम्बर 9772028486, 9660969501 दिये जो इनके द्वारा भेजे हुये मेल में भी अंकित है और इन्होने कहां कि आपके पास व्यवस्था हो जाये तो मुझे Whatsapp कॉल कर लेना मैने मेरे मोबाइल से दिनांक 11 मार्च 2024 को Whatsapp मैसेज किया कि मैं हॉस्पिटल में हूं मैं 2-3 दिन में मिलता हूं दिनांक 14 मार्च 2024 को इंस्पेक्टर दीपक का मेरे मोबाइल पर कॉल आया तो मैने कॉल बैक करने का मैसेज किया मैं PF विभाग के इंस्पेक्टर दीपक को मेरी फर्म से संबंधित रेस्टोरेन्ट के इंस्पेक्सन के लिए इनके द्वारा मांगी गई 2.5 लाख की रिश्वत नही देना चाहता और इनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरी इंस्पेक्टर दीपक से कोई दुश्मनी नही है और न ही इनसे कोई लेन देन बकाया है। दिनांक 19.03.2024 एसडी रक्षित धनकड़ पुत्र श्री विजयपाल धनकड़ निवासी बी 105-106 तिरूपति निलेय टोडी मोड़ सीकर रोड जयपुर 302013, मो. 7230025071, मो. 9461414240 परिवादी रक्षित धनकड से मजीद दरियाफ्त पर पूछने पर बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा लिखा जाकर मैने मेरे हस्ताक्षर किये है तथा उपस्थित परिवादी रक्षित धनखड ने अवगत कराया कि पीएफ डिपार्टमेन्ट से मेरी फर्म से संबंधित इस्पेक्शन के लिए मेरे सीए अंकुर बिलोटिया को मेल किया गया था जिसके बारे में मेरे सीए ने मुझे बताया था और इसके उपरान्त पीएफ इन्सपेक्टर श्री दीपक बडजात्या मेरी फर्म के वीकेआई स्थित ऑफिस आये थे और मुझसे इन्सपेक्शन के लिए रिश्वत की मांग की थी। परिवादी रक्षित धनखड ने स्वंय के सीए से पीएफ विभाग को संबंधित मेल स्वंय की मेल आईडी पर मंगवाने के उपरान्त उक्त मेल को परिवादी की मेल आईडी से कार्यालय की मेल आईडी पर मंगवाया जाकर मेल का प्रिन्ट निकलवा कर अवलोकन किया। उक्त मेल दिनांक 12 दिसम्बर को मेल आईडी नो रिप्लाई श्रम सुविधा एट दा रेट जी ओ वी डोट इन से परिवादी रक्षित धनखड के सीए श्री अंकुर बिलोटिया की मेल आईडी सीए डोट अंकुर बिलोटिया एट दा रेट जी मेल डोट कॉम पर प्राप्त हुआ है जो श्री रक्षित धनखड को उनकी फर्म परमहंस हास्पीटीलेटी प्राईवेट लिमी0 के निरीक्षण के संबंध में है तथा निरीक्षण टीम में श्री दीपक बडजात्या मोबाईल नम्बर 9660969501 व इनकी मेल आईडी का उल्लेख है। परिवादी रक्षित धनखड से प्राप्त मेल व उनकी आईडी तथा परिवादी रक्षित धनखड से उनकी फर्म के

रजिस्ट्रेशन सम्बधीत दस्तावेज की फोटो प्रति प्राप्त कर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। मजीद दरियाफ्त एवं प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इस संन्दर्भ में उपस्थित परिवादी श्री रक्षित धनखड ने मन उप अधीक्षक को अवगत कराया कि पीएफ इन्सपेक्टर दीपक बडजात्या जब फरवरी माह के अन्त में मेरे वीकेआई स्थित ऑफिस आये थे जहां पर उन्होने इस्पेक्शन के लिए रिश्वत की मांग की थी उस समय यह मुझे अपने मोबाईल नम्बर देके गये थे और कहा था कि आपके पास व्यवस्था हो जाये तो मुझे कॉल कर देना। इसके पश्चात मैने 11 मार्च को इन्हे वाटसअप कर दो तीन दिन का समय और मांगा था तथा 14 मार्च 2024 को इनका कॉल भी आया था। इसलिए पीएफ इन्सपेक्टर दीपक बडजात्या से मेरी वाटसअप कॉल पर बातचीत हो सकती है। जिस पर परिवादी रक्षित धनखड के मोबाईल से संदिग्ध अधिकारी दीपक बडजात्या के मोबाईल पर वाटसअप वार्ता किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु स्वंय की अलमारी मे सुरक्षित रखे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को निकाल कर उसका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रक्रिया समझाईश कर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में नया एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी लगाया जाकर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर ऑन कर समय 11.14 एएम से 12.13 पीएम तक परिवादी रक्षित धनखड के मोबाईल नम्बरों से संदिग्ध अधिकारी दीपक बडजात्या के मोबाईल नम्बरों पर वाटसअप कॉल/नार्मल कॉल करवाये गये परन्तु एसओ के मोबाईल नम्बर पर वाटसअप कॉल कनेक्ट नही हुये तथा अन्य कॉल नोट रिचेबल रहे, जिनको वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद परिवादी रक्षित धनखड के मोबाईल नम्बर 9461414240 से दीपक बडजात्या के मोबाईल नम्बर 97720284486 पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध अधिकारी दीपक बडजात्या द्वारा परिवादी को कहा गया कि मैं अभी गंगटोक हूं सटरडे तक आउंगा तब मिलते है। उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करने के उपरान्त रिकॉर्डर को बन्द कर अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 22.03.2024 को मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी से वाट्स अप पर वार्ता कर मय हमराहीयान के कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के ऑफिस चैम्बर नम्बर 724-725 ऐआरजी नोर्थ एवन्यू रोड नम्बर 9ए वीकेआई एरिया सीकर रोड जयपुर पंहुचे जहां पर परिवादी रक्षित धनखड उपस्थित मिले। जिनके ऑफिस का निरीक्षण कर उसमें लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों, डी. वी.आर. एवं डिसप्ले के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। परिवादी के कमरे में लगे कैमरों का डिसप्ले बराबर वाले कमरे में होना परिवादी नें बताया एवं उपस्थित परिवादी ने अवगत कराया कि दीपक बडजात्या मेरे से सम्पर्क कर उसके चेम्बर में आयेगें और उसी समय मेरे से तय की गई रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करने के उपरान्त फर्म से संबंधित रेस्टोरेन्ट की इन्सपेक्शन रिपोर्ट तैयार करेगें। इससे स्पष्ट होता है कि संदिग्ध अधिकारी पीएफ इन्सपेक्टर दीपक बडजात्या द्वारा परिवादी रक्षित धनखड की फर्म परमहंस होस्पीटीलिटी प्राईवेट लिमी से संबंधित रेस्टोरेन्ट टेन्ट टिवस्टरस के निरीक्षण संबंधी कार्य के लिए परिवादी के सीकर रोड स्थित फर्म के ऑफिस में दिनांक 23.03.2024 अथवा इसके उपरान्त परिवादी से सम्पर्क कर आने व उसी समय पूर्व में तय की गई रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये परिवादी रक्षित धनखड की फर्म के इन्सपेक्शन सबंधी कार्य किये जाने की पूर्ण सम्भावना है अतः ऐसी सूरत में सत्यापन वार्ता के उपरान्त अग्रीम कार्यवाही किया जाना सम्भव प्रतीत नही होता है इसलिए संदिग्ध अधिकारी दीपक बडजात्या द्वारा दिनांक 23.03.2024 अथवा उसके उपरान्त जब भी परिवादी रक्षित धनखड से रिश्वत प्राप्ति हेतु सम्पर्क किया जावे उसी समय सम्पूर्ण सत्यापन वार्ता व अग्रीम कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संन्दर्भ में इस दिशा में अग्रीम कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया तथा परिवादी रक्षित धनखड को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल दिनांक 23.03.2024 को प्रातः 10 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने की हिदायत कर मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के कार्यालय रवाना होकर समय 3.30 पी.एम. पर उपस्थित कार्यालय आया। दिनांक 23.03.2024 को समय 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री रक्षित धनखड उपस्थित कार्यालय आया एवं पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान मोहम्मद अकरम हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, जयपुर एवं अनीता पुरोहित हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, जयपुर उपस्थित आये। उपस्थित स्वतंत्र गवाहान से की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल होने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त उपस्थित परिवादी श्री रक्षित धनखड से परिचय करवाया तथा रक्षित धनखड द्वारा वास्ते कार्यवाही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढवा कर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.45 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री रक्षित धनकड़ को संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक बडजात्या पीएफ इन्सपेक्टर को स्वंय की फर्म से संबंधित रेस्टोरेन्ट के इन्पेक्शन कार्य के लिए दी जाने वाली रिश्वत राशि 2.50 लाख रूपये प्रस्तुत करने को कहा तो परिवादी श्री रक्षित धनखड़ ने मन उप अधीक्षक को अवगत कराया कि मेरे पास फिलहाल 60,000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है तथा मैं इसके अतिरिक्त 90,000 हजार रूपये के 180 नोट खिलोने की दुकान से मनोंरजन बैंक के लेकर आया हूं इस प्रकार दोनो को मिलाकर 1,50,000 रूपये (60000 रूपये की प्रचलित भारतीय मुद्रा व 90,000 रूपये मनोजरंजन बैंक की डमी करेंसी) रूपये मेरे पास है। श्री दीपक बडजात्या ने मेरे से 250000 रूपये की रिश्वती राशि की मांग की है परन्तु यदि मैं इस प्रकार 150000 रूपये (60000 रूपये की प्रचलित भारतीय मुद्रा व 90000

रूपये मनोजरंजन बैंक की डमी करेंसी) उसको दुंगा तो वह मुझसे रिश्वत प्राप्त कर लेगा। इस पर मन उप अधीक्षक ने उच्चाधिकारियो को अब तक के तथ्यों से अवगत कराते हुये अग्रीम कार्यवाही में परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 60000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के साथ मनोरंजन बैंक की डमी करेंसी के 180 नोटों को कार्यवाही में शामिल करने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की गई। परिवादी द्वारा प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 120 नोट कुल राशि 60,000/- रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले "मनोरंजन बैंक का खजाना लिखी डमी करेंसी के 180 नोट जिन पर प्रत्येक डमी करेंसी नोट पर मनोरंजन बैंक का खजाना, पांच सौ अंक व 500 व 0AA000000 लिखा है रिश्वत राशि के रूप में मन उप अधीक्षक को पेश किये, इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 1.50 लाख रूपये (60 हजार रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 90000 रूपये डमी करेंसी) पेश किये। परिवादी द्वारा उपरोक्त गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 60,000/- रूपये (साठ हजार) रूपयों का विवरण फर्द में अंकित करवाया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 180 नोट कुल राशि 90000 रूपये है। उक्त सभी डमी नोटो पर " मनोरजंन बैंक का खजाना'लिखा हुआ है। जिन पर कोई भी नम्बर अंकित नही है। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक मांग संदिग्ध को दी जानी है। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 120 नोटो एवं डमी करेंसी के पांच-पांच सौ रूपये के 180 नोटो पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री पुरूषोतम हैड कानि0 69 द्वारा कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त राशि को अखबार पर रखकर श्री पुरूषोतम हैड कानि0 69 से उक्त राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। उपस्थित परिवादी रक्षित धनखड द्वारा अपने पास से एक सफेद रंग के कागज का लिफाफा जिस पर होटल पाल पैराडाईज एण्ड बैन्क्वेट हजरतगंज लखनउ अंग्रेजी में लिखा हुआ है मे रखवाने के लिए कहने पर श्री पुरूषोतम हैड कानि0 69 से इस सफेद रंग के लिफाफे पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 120 नोटो एवं डमी करेंसी के पांच-पांच सौ रूपये के 180 नोटो को इस सफेद लिफाफे मे रखवाया गया तथा परिवादी श्री रक्षित धनखड़ की जामा तलाशी स्वतन्ंत्र गवाह श्री मोहम्मद अकरम से लिवाई जाकर परिवादी के पास स्वयं के मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात रिश्वती राशि का लिफाफा सीधे ही परिवादी रक्षित धनखड पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में पुरूषोतम हैड कानि0 69 से रखवाया गया। परिवादी को हिदायत की गई कि वो रिश्वती राशि को अनावश्यक रूप से नही छुये व संदिग्ध को रिश्वती राशि देते समय डमी करेंसी का आभास नही होने देने का प्रयास करें तथा होशियार व चौकन्ना रहें। साथ ही संदिग्ध रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां रखता है यह भी ध्यान रखे। इसके पश्चात परिवादी को सुविधानुसार ट्रेप टीम के किसी भी सदस्य को या मुझे मिस कॉल या सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। उपस्थित दोनो स्वतन्ंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात परिवादी एवं गवाहान को सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। परिवादी व संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक बडजात्या के मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व में परिवादी की संदिग्ध अधिकारी दीपक बडजात्या के मोबाईल पर करवाई गई वार्ता को रिकॉर्ड करने में काम लिए गये एक विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड तथा दूसरा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर जिसको खाली होना सुनिश्चित कर उसमे नया एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी डालकर रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रक्रिया परिवादी रक्षित धनखड को समझाईस कर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आप जब संदिग्ध से वार्ता व रिश्वत लेनदेन करे तो वार्ता को दोनो रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही फर्द पेशकशी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। समय 2.30 पी.एम. पर इस समय उपस्थित परिवादी श्री रक्षित धनखड ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि संदिग्ध अधिकारी श्री दीपक बडजात्या पीएफ इंस्पेक्टर ने दिनांक 19.03.2024 को हुई मोबाईल वार्ता मे स्वंय के जयपुर से बाहर गंगटोंक होने तथा शनिवार को आकर सम्पर्क करने के लिए कहा था परन्तु अब तक संदिग्ध दीपक का कोई कॉल व मैसेज नही आया है तथा इससे पूर्व दो बार जब पीएफ इंसपेक्टर दीपक मेरे पास ऑफिस मे आये थे तो वह अवकाश के दिन नही कार्य दिवस मे ही आये थे इसलिए अब संदिग्ध दीपक बडजात्या का कॉल या मैसेज आज आने की सम्भावना नही है और मुझे भी होली के त्यौहार होने के कारण पारिवारिक कार्य के लिए जाना है, यदि संदिग्ध दीपक बडजात्या पीएफ इंसपेक्टर मुझसे सम्पर्क करेगा तो मैं आपको कार्यवाही के लिए अवगत करवा दुंगा। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रीम कार्यवाही हेतु परिवादी की उपस्थिति में संदिग्ध दीपक बडजात्या के कॉल अथवा मैसेज का इन्तजार किया गया परन्तु इस संन्दर्भ मे अब तक संदिग्ध का कॉल अथवा मैसेज नही आये है तथा परिवादी भी होली के त्यौहार के कारण जाना चाहते है अतः परिवादी श्री रक्षित धनखड की पेन्ट की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि का लिफाफा पुरूषोतम हैड कानि को तलब कर निकलवाया जाकर स्वंय की अलमारी के लॉकर में सुरक्षित रखवाया गया तथा दोनो वाईस रिकॉर्डर परिवादी से मन उप अधीक्षक ने बंन्द अवस्था मे प्राप्त कर स्वंय की अन्य अलमारी (जिस अलमारी मे रिश्वती राशि रखवाई गई है उसके अलावा) में सुरक्षित रखे गये। उपस्थित परिवादी रक्षित धनखड को गोपनीयता बरतने तथा इस संबंध मे संदिग्ध अधिकारी का कॉल या मैसेज आने पर सूचित करने की हिदायत कर रूखसत किया गया। उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 26.03.2024 को समय 10.03 ए.एम. पर परिवादी श्री रक्षित धनखड ने मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वाटसअप कॉल कर बताया कि अभी मेरे पास श्री दीपक बडजात्या पीएफ इस्पेक्टर का मोबाईल नम्बर 9772028486 से मेरे मोबाईल नम्बर 9461414240 पर दस बजे के करीब कॉल आया जिसे मैं गाडी चलाते समय उठा नही पाया इसके पश्चात मैने गाडी साईड मे रोककर मेरे इस मोबाईल से दीपक बडजात्या के मोबाईल नम्बर 9772028486 पर कॉल किया तो दीपक बडजात्या पीएफ इन्सपेक्टर ने मेरे वीकेआई स्थित कार्यालय पर 12.30 बजे आने का समय निश्चित किया है। मैने इस कॉल की मेरे दुसरे मोबाईल में विडियो रिकॉर्डिंग की है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी रक्षित धनखड को एसीबी कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई। समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री रक्षित धनखड उपस्थित कार्यालय आया तथा पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह मोहम्मद अकरम व चौकी नगर चतुर्थ से गवाह श्री धिरेन्द्र कुमार कराडिया हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। परिवादी रक्षित धनखड का परिचय उपस्थित गवाह श्री धिरेन्द्र कुमार से गवाह मोहम्मद अकरम की उपस्थिति मे करवाया गया एवं रक्षित धनखड द्वारा करवाई जा रही गोपनीय कार्यवाही के संन्दर्भ में अब तक के तथ्यों से अवगत करवाकर श्री धिरेन्द्र कुमार से गोपनीय कार्यवाही बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल होने की स्वीकृति प्राप्त की जाकर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उपस्थित परिवादी रक्षित धनखड ने पुनः गवाहान की उपस्थिति मे बताया कि मेरे पास करीब दस बजे दीपक बडजात्या पीएफ इंसपेक्टर का कॉल आया था जिसे मैने करीब 12.30 बजे अपने वीकेआई स्थित कार्यालय बुलाया है जहां पर वह मेरी फर्म के निरीक्षण संबधी कार्य के लिए रिश्वत की मांग कर रिश्वत प्राप्त करेगा। समय 11.00 ए.एम. पर श्री पुरूषोतम हैड कानि0 69 को तलब कर स्वंय की अलमारी के लॉकर में सुरक्षित रखी फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि के लिफाफे को निकलवाया जाकर लिफाफे मे रखी राशि में शामिल भारतीय मुद्रा के 120 नोट 500 रूपये के कुल 60000 के नोटों के नम्बर पुरूषोतम हैड कानि से बुलवाकर गवाह मोहम्मद अकरम से फर्द दृष्टान्त से मिलान करवाकर राशि को वापिस उसी लिफाफे मे रखवाया जाकर परिवादी रक्षित धनखड की जामा तलाशी गवाह मोहम्मद अकरम से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईलों के अलावा अन्य कोई वस्तु नही छोडते हुये रिश्वती राशि का लिफाफा परिवादी रक्षित धनखड के बताये अनुसार वास्ते रिश्वत लेनदेन परिवादी के ब्राउन रंग के लेपटॉप बैग(लेपटॉप बैग में परिवादी का लेपटॉप व चार्जर के अलावा अन्य कोई वस्तु नही रहने देते हुऐ) की अन्दर की जेब में श्री पुरूषोतम हैड कानि0 से रखवाया गया एवं परिवादी को हिदायत की गई वह इस रिश्वती राशि के लिफाफे का अनावश्यक नही छुये एवं संदिग्ध अधिकारी द्वारा मांगने पर रिश्वत राशि निकाल कर देवे। परिवादी रक्षित धनखड को स्वंय की कार्यालय की अन्य अलमारी से पूर्व मे कार्यवाही मे काम मे लिया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड व एक अन्य डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी रक्षित धनखड को सुपुर्द किये गये एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर की इस्तेमाली प्रक्रिया परिवादी को समझाईश की गई एवं परिवादी को हिदायत की गई कि आप जब संदिग्ध से वार्ता व रिश्वत लेनदेन करे तो वार्ता को दोनो रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्ड करे। श्री पुरूषोतम हैड कानि0 को कार्यालय मे छोडा गया। समय 11.15 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री सुरेन्द्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री छोटीलाल पुलिस निरीक्षक, श्री मनोहरसिंह एएसआई, श्री वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री पूरण सिंह हैड कानि0 95, श्री अशोक कुमार हैड कानि0137, श्री अशोक हैड कानि0 149, श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि0 66, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर सरकारी वाहन व परिवादी रक्षित धनखड के प्राईवेट वाहन से अग्रीम कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 11.15 एएम पर परिवादी के ऑफिस एआरजी नोर्थ एवन्यू, वीकेआई रोड नम्बर 9ए, सीकर रोड ऑफिस परमहंस होस्पीटीलिटी प्रा0लि0 चेम्बर नम्बर 724-725 समय 12.00 पीएम पर पंहुचे तथा हमराहियान में से परिवादी श्री रक्षित धनखड, श्री अशोक कुमार हैड कानि0 137, गवाह श्री मोहम्मद अकरम के परिवादी के ऑफिस में 12.05 पीएम पर प्रवेश किया तथा शेष जाब्ता व अन्य गवाह को ऑफिस के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम किया। मन उप अधीक्षक ने परिवादी रक्षित धनखड के ऑफिस में स्थित दुसरे बडे चेम्बर मे पंहुच कर मुकीम हुआ जहां पर इस चेम्बर में परिवादी के ऑफिस के चेम्बर नम्बर 724-725 में प्रवेश द्वार तथा परिवादी के स्वंय के चेम्बर तथा ऑफिस के अन्य हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरे का एक्सीस एलसीडी टीवी पर लाईव डिस्पले हो रहा है जिसमें परिवादी के ऑफिस मे प्रवेश करने व परिवादी के स्वंय के चेम्बर जिसमें परिवादी द्वारा संदिग्ध अधिकारी से स्वंय के कार्य की वार्ता व रिश्वत लेनदेन किया जाना है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चूंकि संदिग्ध अधिकारी दीपक बडजात्या द्वारा परिवादी के पास आने का समय 12.30 पीएम नियत किया गया है अतः परिवादी दीपक बडजात्या को समय 12.20 पीएम पर बाद समझाईश कर उसे दिये गये दोनो वाईस रिकॉर्डर ऑन कर मय परिवादी के पास मौजुद लेपटॉप बैग जिसमे रिश्वती राशि का लिफाफा रखा गया है के पास ही स्थित स्वंय के चेम्बर में रवाना किया तथा वाईस रिकॉर्डर ऑन करने से पूर्व परिवादी रक्षित धनखड को यह भी हिदायत की गई कि नियत समय करीब 12.30 बजे अपने अन्य मोबाईल से हमराह अशोक कुमार हैड कानि 137 के मोबाईल पर कॉल करके कॉल चालु रखे ताकि संदिग्ध अधिकारी के आने पर आप व संदिग्ध अधिकारी के मध्य जो भी बातचीत हो वह सुनाई दे सके। समय 12.30 पीएम पर एक लाल रंग का फुल आस्तिन का शर्ट पहने हुये एक व्यक्ति जिसके पीठ पर एक काले रंग का बैग लटका हुआ है ऑफिस के प्रवेश द्वार से अन्दर आता हुआ दिखाई दिया जिसे

परिवादी के ऑफिस के कार्यालय कर्मी ने रक्षित धनखड के चेम्बर का द्वार खोलकर अन्दर भेजा इसी समय परिवादी रक्षित धनखड ने स्वंय के मोबाईल नम्बर 7230025073 से अशोक हैडकानि 137 के मोबाईल नम्बर 9829005945 पर कॉल किया जिसे मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाह मोहम्मद अकरम की उपस्थिति मे सुनना प्रारम्भ किया तथा परिवादी के ऑफिस के स्वंय के चेम्बर में लगे सीसीटीवी कैमरे का लाईव एक्सीस एलसीडी टीवी पर देखना प्रारम्भ किया। परिवादी रक्षित धनखड के मोबाईल से अशोक हैड कानि 137 के मोबाईल पर जारी कॉल में अनवरत परिवादी व सामने बैठे व्यक्ति के बीच लगातार परिवादी की फर्म के निरीक्षण के संबंध में विस्तृत वार्तालाप जारी है तथा इस वार्तालाप में सामने बैठे व्यक्ति द्वारा परिवादी की फर्म के पीएफ इन्सपेक्शन के संबंध मे लगातार रिकॉर्ड मैन्युवली तथा परिवादी के लेपटॉप तथा संदिग्ध व्यक्ति के स्वंय के लेपटॉप पर देखा जा रहा था तथा फर्म से संबंधित जानकारी परिवादी को एक्सल सीट पर तैयार करने के लिए कहा गया एवं परिवादी द्वारा स्वंय की फर्म के संबध में निरीक्षण बाबत पूर्व मे भी निरीक्षण होने की बात कही गई तो सामने बैठे व्यक्ति ने इस संन्दर्भ मे कोई रिकॉर्ड होने के बारे मे परिवादी से बात कर रहा था। इसी बातचीत में परिवादी द्वारा प्रारम्भ में डेढ की व्यवस्था होने की ही बात कही गई इसके उपरान्त सामने बैठे व्यक्ति ने परिवादी की फर्म से संबंधित सूचनाएं एवं रिकॉर्ड देखना जारी रखा तथा एक्सल सीट पर सूचनाएं तैयार करने को कहा। इस संबंध मे सामने बैठे व्यक्ति ने मोबाईल से कॉल कर अपने ऑफिस मे कॉल किया और एक्सल सीट का प्रफोर्मा भी भेजने की बात कही। इन सभी वार्ताओं से संबंधित लाईव विडियो एलसीडी पर मन उप अधीक्षक व गवाह मोहम्मद अकरम द्वारा देखे जा रहे थे जिससे प्रारम्भिक तौर पर इस बात की पुष्टी हुई कि परिवादी रक्षित धनखड के सामने बैठा व्यक्ति संदिग्ध दीपक बडजात्या पीएफ इन्सपेक्टर है। परिवादी रक्षित धनखड व संदिग्ध व्यक्ति के बीच परिवादी की फर्म के निरीक्षण संबंधी वार्तालाप लगातार जारी रहा, इस दौरान परिवादी रक्षित धनखड को सामने बैठे संदिग्धव्यक्ति (दीपक बडजात्या) ने दो की व्यवस्था करने के लिए कहा तो परिवादी रक्षित धनखड ने डेढ की ही व्यवस्था होने के लिए कहा गया परन्तु संदिग्ध व्यक्ति (दीपक बडजात्या) ने दो की व्यवस्था करने के लिए कहा तथा परिवादी को कहा कि आपके लिए कोई बडी बात नही है, आप करने मे सक्षम हो, इस पर परिवादी ने कहा कि अभी तो मेरे पास डेढ है आप तीन चार दिन में रिपोर्ट तैयार करो मै बाहर जा रहा हूं आकर पच्चास और कर दुंगा तथा परिवादी रक्षित धनखड ने टेबिल पर रखे स्वंय के ब्राउन कलर के लेपटॉप बैग जिसकी जेब मे रिश्वती राशि का लिफाफा रखा है को खोलकर रिश्वति राशि का लिफाफा लेपटॉप बैग से बाहर निकाला तो संदिग्ध व्यक्ति (दीपक बडजात्या) ने चेम्बर मे लगे सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा तो परिवादी ने कहा कि सर कोई दिक्कत नही है लिफाफे में है ये डेड है इस पर संदिग्ध व्यक्ति(दीपक बडजात्या) ने स्वंय के काले रंगे के पीठु बैग की चैन खोलकर परिवादी रक्षित धनखड से सफेद रंग के लिफाफे जिसमें रिश्वती राशि 1.50 लाख रूपये रखी है को स्वंय के काले रंग के बैग मे रखवा कर चैन बन्द करके बैग को स्वंय के कंन्धे पर टांगा और परिवादी को पच्चास बाद मे करने की कहा और खडा होकर परिवादी से हाथ मिलाकर परिवादी रक्षित धनखड के चेम्बर से समय 01.43 पीएम पर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया (उपरोक्त समस्त वार्तालाप व घटनाक्रम का लाईव विडियो एक्सीस मन उप अधीक्षक पुलिस व गवाह मोहम्मद अकरम व अशोक हैड कानि0 137 द्वारा सुना व देखा जा रहा था) इस पर मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के बगल वाले चेम्बर से बाहर निकला जहां पर लाल शर्ट पहना व्यक्ति ऑफिस के मैन गेट से बाहर निकल रहा था उसके पीछे परिवादी रक्षित धनखड थे जिन्होने रिश्वत लेनदेन का नियत ईशारा किया इस पर परिवादी के ऑफिस के मैनगेट के बाहर मन उप अधीक्षक ने अशोक कुमार हैड कानि 137 के साथ लाल शर्ट वाले व्यक्ति जिसके कन्धे पर काले रंग का पीठु बैग टंगा हुआ है के दांये व बांये हाथ को पीछे से गवाह मोहम्मद अकरम व परिवादी की उपस्थिति में पकड कर रोका इसी दौरान आसपास मुकीम ब्यूरो की शेष हमराह टीम व गवाह भी उपस्थित आई जिनकी सहायता से लाल रंग का शर्ट पहने व्यक्ति को हाथो की कलाई से पकडवाया तथा परिवादी रक्षित धनखड से दोनो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। लाल रंग की शर्ट पहनी हुई व्यक्ति को हाथ से पकडी हुई अवस्था में परिवादी के ऑफिस में मय टीम के प्रवेश किया तथा लाल शर्ट पहने हुये काले रंग के पीठु बैग लटकाये हुये व्यक्ति को मन उप अधीक्षक ने अपना व ब्यूरो टीम का परिचय देते हुये नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम दीपक बडजात्या पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन, उम्र 45 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 219ए, पटेल नगर मानसरोवर जयपुर हाल प्रर्वतन अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षैत्रीय कार्यालय निधि भवन, विधुत मार्ग ज्योती नगर जयपुर मोबाईल नम्बर 9660969501 व 9772028486 बताया। तत्पश्चात परिवादी रक्षित धनखड ने उपिस्थत गवाहान मे बताया कि यह दीपक बडजात्या पीएफ इन्सपेक्टर है जो मेरी फर्म परमहंस हॉस्पीटीलीटि से संबंधित रेस्टारेन्ट के निरीक्षण के कार्य के लिए पूर्व मे मेरे इसी ऑफिस मे आये थे और इस फर्म से संबंधित रेस्टोरेन्ट के पीछले पांच वर्षो के पीएफ निरीक्षण की रिपोर्ट बनाने के लिए ढाई लाख रूपये की रिश्वत की मेरे से मांग की थी और आज दीपक बडजात्या पीएफ इन्सपेक्टर ने मुझे सुबह करीब दस बजे कॉल किया था जिसमें साढे बारह बजे मेरे ऑफिस मे आने का समय नियत किया था तथा दीपक बडजात्या 12.30 बजे मेरे ऑफिस मे मेरे चेम्बर मे आये और मेरी फर्म परमहंस हॉस्पीटीलीटी के रेस्टोरेन्ट टेन टिवस्टरस के पांच वर्ष के पीएफ इन्सपेक्शन की रिपोर्ट बनाने के लिए संबंधित डॉक्यूमेन्टस देखे तथा दीपक बडजात्या ने इस इसपेक्शन रिपोर्ट को बनाने के लिए ढाई लाख रूपये मांगे थे मैने इनको डेड लाख की ही व्यवस्था होने की बात कही तो इनके द्वारा कहा गया कि आप दो लाख की व्यवस्था करना इस पर आज इन्होने मेरे से डेड लाख रूपये की रिश्वती राशि

अपने काले रंग के पीठु बैग की चैन खोलकर बैग में रखवा कर प्राप्त की है तथा पच्चास हजार रूपये बाद मे देने की बात की है। इस पर उपस्थित दीपक बडजात्या ने पूछने पर बताया कि मैं आज रक्षित धनखड के इस ऑफिस मे इनकी फर्म परमहंस हॉस्पीटीलीटी के पीएफ इन्सपेक्शन के कार्य के लिए आया था और इनके चेम्बर में इस इन्सपेक्शन से संबंधित वार्ताएं रक्षित धनखड से की थी मैने इनसे कोई रिश्वत राशि प्राप्त नही की है इस पर मन उप अधीक्षक ने दीपक बडजात्या के कन्धे पर टंगे काले रंग के पीठु बैग (लेपटॉप बैग) के बारे मे पुछा तो दीपक बडजात्या ने यह बैग स्वंय का होना बताया इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो गवाह, परिवादी मय टीम, दीपक बडजात्या को उसी अवस्था में लेकर परिवादी के ऑफिस के बडे चेम्बर जिससे मन उप अधीक्षक परिवादी व संदिग्ध दीपक बडजात्या के मध्य की बातचीत व लेनदेन लाईव देख रहे थे में पंहुचे व दीपक बडजात्या प्रर्वतन अधिकारी पीएफ के कन्धे पर टंगे काले रंग के लेपटॉप बैग जिस पर। ASUS है को दीपक बडजात्या से उतरवाया जाकर टेबल पर रखकर गवाह मोहम्मद अकरम से बैग की चैन खुलवाई गई तो बैग मे कागजो के फोल्डर व एक डायरी के बीच में सफेद रंग का लिफाफा रखा हुआ है को गवाह मोहम्मद अकरम से बाहर निकलवाया, उक्त सफेद रंग के लिफाफे के उपर होटल पाल पैराडाईज एण्ड बैन्क्वेट हजरतगंज लखनउ अंग्रेजी में लिखा हुआ है इस लिफाफे को मोहम्मद अकरम से खुलवाया गया तो लिफाफे में पांच-पांच सौ रूपये के भारतीय मुद्रा के चलन नोट तथा मनोरंजन बैंक के पांच सौ अंक अंकित डमी नोट है इन नोटों की गिनती दोनो गवाहान से करवाई गई तो भारतीय मुद्रा के कुल 120 नोट पांच-पांच सौ रूपये के है तथा मनोरंजन बैंक के पांच सौ अंक अंकित 180 डमी नोट है। भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 120 नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी व दृष्टान्त से करवाने पर इन 120 पांच सौ रूपये के नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी से हुबहु मिलान होना पाया गया जिनका विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त रिश्वती राशि भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये 120 नोट कुल 60,000 रूपये मय सफेद रंग का लिफाफा जिससे रिश्वती राशि बरामद हुई है को एक साथ चिट चस्पा कर गवाहान, परिवादी व आरोपी दीपक बडजात्या के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व मनोरंजन बैंक के पांच सौ अंक अंकित 180 डमी नोटों को भी पृथक से सिल्ड चिट चस्पा कर गवाहान, परिवादी व आरोपी दीपक बडजात्या के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके उपरान्त ट्रेप पार्टी सदस्य श्री पूरण सिंह हैड कानि0 95 से ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा निकलवाया जाकर एक प्लास्टिक के साफ पारदर्शी गिलास मे साफ पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया जिसे उपस्थितान ने रंगहीन होना जाहीर किया इसके पश्चात श्री पूरण सिंह हैड कानि से एक साफ रूई के फोहे को दीपक बडजात्या के काले रंग के पीठु/लेपटॉप बैग जिसमें कागजों के प्लास्टिक फोल्डर व डायरी जिसके बीच से रिश्वती राशि का लिफाफा मिला है, फोल्डर व डायरी पर अच्छी तरह रगडवाया जाकर रूई के फोहे को सोडियम कार्बोनेट के घोल मे डुबाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना जाहिर किया। इसके पश्चात बैग के धोवन को दो कांच की शिशियों मे आधा आधा भरा जाकर मार्क B-1 व B-2 अंकित किया जाकर सिल्ड मोहर किया गया तथा रूई का फोहा जिससे बैग का धोवन लिया गया है को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क B अंकित किया जाकर मार्का B, B-1, B-2 पर आरोपी दीपक बडजात्या, गवाहान, परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। दीपक बडजात्या द्वारा रिश्वती राशि का लिफाफा मय रिश्वत राशि परिवादी रक्षित धनखड से स्वंय के बैग की चैन खोलकर सीधे ही बैग मे रखवा कर प्राप्त किया गया है अतः दीपक बडजात्या के हाथ धुलाई नही करवाई गई। तत्पश्चात दीपक बडजात्या के काले रंग के बैग को चैक किया तो बैग में एक डायरी भूरे रंग की जिस पर 2018 डायरी अंकित है जिसके प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी मे दीपक बडजात्या लिखा है, एक जनवरी से 13 जनवरी तक के पृष्ठ भरे हुये है तथा एक प्लास्टिक फोल्डर जिसके अन्दर परमहंस हॉस्पीटीलिटी प्राईवेट लिमी. 724-725 नोर्थ एवन्यू रोड नम्बर 9ए, वीकेआई जयपुर से संबंधित दस्तावेजो की फोटोप्रतियां पृष्ठ संख्या 01 से 118 तक है तथा उक्त बैग में सफेद रंग का । ASUS कम्पनी का लेपटॉप मिला। तत्पश्चात दीपक बडजात्या की जामा तलाशी गवाह मोहम्मद अकरम से लिवाई गई तो तलाशी में दो मोबाईल फोन जिसमें से एक औपो कम्पनी का मोबाईल नम्बर 9660969501 एयरटेल व 9772028486 वोडाफोन की सिम लगी है, आईएमईआई फर्स्ट नम्बर 865924052619553 व आईएमईआई द्वितीय नम्बर 865924052619546 है तथा इस मोबाईल का लॉक नम्बर 231018 दीपक बडजात्या ने बताया है, उक्त मोबाईल से दीपक बडजात्या द्वारा परिवादी रक्षित धनखड के मोबाईल नम्बर 9461414240 पर दिनांक 19.03.2024 व आज दिनांक 26.03.2024 को हुई वार्ता के स्क्रिन शॉट का प्रिन्ट लिया जाकर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दुसरा मोबाईल एप्पल कंपनी का आईफोन 15 प्रो मैक्स जिसके आईएमईआई 1 नम्बर 352847949808834 व आईएमईआई 2 नम्बर 352847949763435 है जिसमें मोबाईल नम्बर की सिम बाबत मन उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल किया तो इस मोबाईल में मोबाईल नम्बर 7300425017 की सिम होना पाई गई। तथा दीपक बडजात्या की जेब में एक काले रंग का लेदर पर्स जिसमें कुल 9710 रूपये (पांच सौ रूपये के 19, 100 रूपये के 02 व 10 रूपये का 01 नोट) मिले व दीपक बडजात्या का भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का जनवरी 2025 तक का आईकार्ड व आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड नम्बर 401704002128326 1 मिला एवं एक कार की चाबी मिली जिसके बारे मे दीपक बडजात्या ने यह चाबी स्वंय की कार ग्राण्ड आई 10 ग्रे कलर नम्बर आरजे 14 क्यूसी 3413 की होना बताई जो निचे रोड पर बाहर खडी

होना बताई, उक्त कार का निरीक्षण श्री छोटीलाल पुलिस निरीक्षक से गवाह श्री धिरेन्द्र कुमार की उपस्थिति में करवाया गया तो श्री छोटीलाल पुलिस निरीक्षक ने बाद निरीक्षण बताया कि उक्त कार ग्रे कलर की आरजे 14 क्यूसी 3413 हुण्डई ग्राण्ड आई 10 स्पोर्टस है जो बाहर एआरजी नोर्थ एवेन्यू के बाहर रोड पर खडी है जो 88567 किमी तक चली है जो दीपक बडजात्या ने स्वंय की पत्नी के नाम रजिस्ट्रर्ड होना बताई है। श्री दीपक बडजात्या के उक्त काले रंग के पीठु/लेपटॉप बैग जिसमे उपरोक्त डायरी, कागजों का फोल्डर, लेपटॉप मिला है जिसमे से डायरी व प्लास्टिक फोल्डर जिसमें परमहंस हॉस्पीटीलिटी प्राईवेट लिमी. 724-725 नोर्थ एवन्यू रोड नम्बर 9ए, वीकेआई जयपुर से संबंधित दस्तावेजो की फोटोप्रतियां पृष्ठ संख्या 01 से 118 (डायरी व कागजो के फोल्डर के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर गवाहान, परिवादी व आरोपी दीपक बडजात्या के हस्ताक्षर करवाये) .तक है को वास्ते अनुसंधान खुली अवस्था में शामिल पत्रावली किया गया तथा काले रंग के पीठु/लेपटॉप बैग को ASUS कम्पनी के सफेद लेपटॉप मय लेपटॉप चार्जर व माऊस सहित कपडे की सफेद रंग की थैली मे रखा जाकर सिल्ड मोहर कर मार्का A दिया गया। दीपक बडजात्या के उपरोक्त दोनो मोबाईल फोन औपो कम्पनी व आईफोन 15 को सफेद रंग की थैली मे रखा जाकर सिल्ड मोहर कर मार्का A-1 दिया, दोनो आर्टिकल्स पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वंय के पास सुरक्षित रखे दोनो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को ऑन कर गवाहान की उपस्थिति में सुना गया तो दोनो वाईस रिकॉर्डर मे परिवादी रक्षित धनखड व संदिग्ध दीपक बडजात्या की वार्ता रिकॉर्ड है जिसमें एक आवाज परिवादी ने स्वंय की एव दुसरी आवाज दीपक बडजात्या के होने की पहचान की। उक्त वार्तालाप में दीपक बडजात्या द्वारा परिवादी रक्षित धनखड की फर्म परमहंस हॉस्पीटीलिटी के पांच वर्ष के पीएफ इन्पेक्शन के संबंध मे विस्तृत वार्ता की गई है तथा परिवादी की फर्म की इन्पेक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए परिवादी रक्षित धनखड से आज 2 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करते हुयें आज दिनांक को परिवादी से 1.50 लाख रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने व 50 हजार रूपये बाद में प्राप्त करने की वार्ताएं दर्ज है। दोनो वाईस रिकॉर्डर बन्द कर सुरक्षित रखे गये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक ने परिवादी रक्षित धनखड के साथ गवाहान की मौजुदगी में परिवादी के ऑफिस मे लगे सीसीटीवी कैमरा के एक्सीस की रिकॉर्डिंग को चलवाकर देखा गया तो परिवादी रक्षित धनखड के ऑफिस में दीपक बडजात्या के काले रंग का बैग कन्धें पर टांगे हुये प्रवेश करने व इसके उपरान्त परिवादी के ऑफिस मे बैठकर दीपक बडजात्या द्वारा परिवादी से वार्तालाप करने व वार्तालाप के दौरान परिवादी रक्षित धनखड से 1.50 लाख रूपये की रिश्वती राशि का सफेद रंग का लिफाफा मय रिश्वती राशि के स्वंय के काले रंग के बैग की चैन खोलकर रिश्वती राशि परिवादी से स्ंवय के बैग मे रखवाकर बैग की चेन बन्द करके बैग कन्धे पर लटका कर परिवादी से हाथ मिलाकर परिवादी के चेम्बर से बाहर जाने की विडियो रिकॉर्डिग परिवादी के ऑफिस में बडे चेम्बर में लगे डीवीआर में उपलब्ध है। उक्त विडियो रिकॉर्डिग की फुटेज परिवादी श्री रक्षित धनखड से विडियो रिकॉर्डिग एक्सीस की डीवीआर से ADATA कम्पनी के तीन 16 जीबी के पेनड्राईव में मूल सोर्स डीवीआर से कॉपी करवा कर प्राप्त किये तथा दो 16 जीबी के पेन ड्राईव को उसी पेनड्राईव कवर मे रखकर पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर कब्जा एसीबी लिये गये। सिल्डशुदा आर्टिकल्स पर आरोपी दीपक बडजात्या, गवाहान, परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेन ड्राईव 16जीबी जिसमें उपरोक्त विडियो फुटेज है को अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात परिवादी रक्षित धनखड से उक्त विडियो रिकॉर्डिग डीवीआर एक्सीस के मूल सोर्स हार्डडिस्क को सुरक्षित अवस्था में डीवीआर से निकलवाया गया जो हार्ड डिस्क कम्पनी WD की है जिस पर WD Blue PC Hard Drive अंकित है तथा 4.0 टीबी की है। उक्त हार्डडिस्क को एक प्लास्टिक की थैली मे रखकर हार्डडिस्क को कागज के डिब्बे में डालकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्डमोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क D अंकित किया गया। आरोपी दीपक बडजात्या की कार हुण्डई आई 10 ग्रे कलर नम्बर आरजे 14 क्यूसी 3413 जो बिल्डिंग के बाहर खडी है को वास्ते अनुसंधान हमराह लिया गया। इसके बाद आरोपी दीपक बडजात्या प्रर्वतन अधिकारी से आवाज का नमूना देने हेतु जरिये फर्द सहमति चाही गई तो आरोपी दीपक बडजात्या प्रर्वतन अधिकारी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में मना किया। समय 10-00 पी.एम. पर आरोपी दीपक बडजात्या प्रर्वतन अधिकारी को जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका हालात मौका मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 11-00 पी.एम. पर श्री छोटीलाल पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता व गिरफ्तारशुदा आरोपी दीपक बडजात्या का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु कावंटिया अस्पताल जयपुर रवाना कर परिवादी रक्षित धनखड को दिनांक 27.03.2024 को समय 09.00 एएम पर एसीबी कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत कर छोडा गया एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व शेष एसीबी जाब्त के आरोपी दीपक बडजात्या की कार हुण्डई आई 10 ग्रे कलर नम्बर आरजे 14 क्यूसी 3413 को हमराह लेकर व सिल्डशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि मय पत्रावली घटनास्थल से मय हमराहियान वाहनों/चालक के रवाना होकर समय 11-50 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पहंुचे। सिल्डशुदा आर्टिकल्स व डिजीटल वाईस रिकॉर्डरों को स्वंय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। समय 11-55 पी.एम. पर श्री छोटीलाल पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता व गिरफ्तारशुदा आरोपी दीपक बडजात्या के उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 27.03.2024 को समय 09.00 एएम पर एसीबी कार्यालय आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 27.03.2024 को परिवादी श्री रक्षित धनखड व स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद अकरम व श्री धिरेन्द्र कुमार

के उपस्थित कार्यालय आने पर उनकी उपस्थिति में मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं के पास सुरक्षित रखे एसडी कार्ड लगे दो डिजिटल वॉयस रिकार्डर को अपनी कार्यालय की अलमारी से निकाल कर उक्त दोनो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 26.03.2024 को परिवादी रक्षित धनखड व आरोपी दीपक बडजात्या के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड हुई वार्ताओ को लेपटॉप की सहायता से सुना गया तो दोनो रिकॉर्डर जिनमे दिनांक 26.03.2024 की रिश्वत मांग व लेनदेन वार्ता समान समयावधि की होना पाई जाने पर रिकॉर्ड वार्ताओं मे परिवादी रक्षित धनखड द्वारा एक आवाज स्वंय की एवं दुसरी आवाज आरोपी दीपक बडजात्या की होने की पहचान गवाहान के समक्ष ताईद करने पर कार्यवाही के दौरान दिनांक 19.03.2024 से काम मे लिये जा रहे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड को लेपटॉप की सहायता से सुनकर उपरोक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उक्त वार्ताओं की लेपटॉप की सहायता से मूल सोर्स एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी से 05 सीडी तैयार की जाकर मार्क CD-1, CD-2, CD-3, CD-4, CD-5 दिया जाकर सीडी मार्क CD-1, CD-2, CD-3 (CD-1, CD-2 न्यायालय हेतु CD-3 आरोपी हेतु) को मुताबिक फर्द सील्डमोहर किया एवं सीडी मार्क CD-4, CD-5 (CD-4 आईओ व CD-5 एडीपी हेतु) को खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे एसडी कार्ड को पृथक से मुताबिक फर्द सील्डमोहर कर मार्क SD दिया गया तथा दुसरे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय एसडी कार्ड जिसमें दिनांक 26.03.2024 को परिवादी रक्षित धनखड व आरोपी दीपक बडजात्या के मध्य हुई वार्ताएं फर्द ट्रांसक्रिप्ट में दर्ज 26.03.2024 की वार्ता के अनुरूप है, उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को पृथक से मुताबिक फर्द सील्डमोहर कर मार्क SD-1 दिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता पृथक से तैयार कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दौराने कार्यवाही दिनांक 26.03.2024 को घटनास्थल परिवादी रक्षित धनखड के ऑफिस चेम्बर 724-725 एआरजी नोर्थ एवन्यू वीकेआई रोड नम्बर 9ए जयपुर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज डीवीआर से तीन पेनड्राईव में लिये जाकर मार्क सी-1 व सी-2 को सिल्डमोहर किया गया था तथा विडियो फुटेज का एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया था उक्त विडियो फुटेज के खुले पेनड्राईव को स्वंय के कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में चलाया जाकर देखा गया तथा उक्त विडियो फुटेज की प्रकरण के तथ्यों के संन्दर्भ मे फर्द विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया तथा उपस्थित परिवादी श्री रक्षित धनखड द्वारा दिनांक 26.03.2024 को घटनास्थल स्वंय के ऑफिस मे लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तीन पेन ड्राईव मे उपलब्ध करवाने व फुटेज की हार्डडिस्क उपलब्ध करवाने के संन्दर्भ मे स्वंय का 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही से आरोपी दीपक बडजात्या प्रर्वतन अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षैत्रीय कार्यालय निधि भवन, विधुत मार्ग ज्योती नगर जयपुर द्वारा परिवादी श्री रक्षित धनखड की फर्म परमहंस हॉस्पीटीलिटी से संबंधित पीएफ इन्सपेक्शन की रिपोर्ट तैयार करने के कार्य के लिए परिवादी रक्षित धनखड से 2.50 लाख रूपये की रिश्वत मांग करने के संबंध में दिनांक 26.03.2024 को परिवादी रक्षित धनखड से 02 लाख रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तय करते हुये मांग के अनुसरण में परिवादी से दीपक बडजात्या ने 1.50 लाख रूपये(60,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पांच सौ रूपये के 120 नोट व 90,000 मनोरंजन बैंक के पांच सौ अंकित 180 डमी नोट) बतौर रिश्वत प्राप्त किये जिससे दीपक बडजात्या प्रर्वतन अधिकारी का उक्त कृत्य धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री दीपक बडजात्या पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन, उम्र 45 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 219ए, पटेल नगर मानसरोवर जयपुर हाल प्रर्वतन अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षैत्रीय कार्यालय निधि भवन, विधुत मार्ग ज्योती नगर जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशेधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। SD (अभिषेक पारीक) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर नगर–द्वितीय, जयपुर के माध्यम से श्री अभिषेक पारीक, उप अधीक्षक पुलिस ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दीपक बडजात्या, प्रर्वतन अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षैत्रिय कार्यलय निधि भवन विद्युत मार्ग ज्योति नगर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती रजनी मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–चर्तुथ जयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। गई।उक्त की रोजनामचाआम रपट 324 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 230-33 दिनांक 28.3.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या–1 जयपुर। 2.केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली।3.उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम,भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर नगर–द्वितीय, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJNI MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/03/2024 17:30:32

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	27/09/1979				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)